कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिपत्रांक–सीः 07 /अधि02–6(3) दिनांक : 07 अप्रैल 2015

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।

शासनादेश संख्या–1516/12–2–2014–60(5)/2012 दिनांक 31.05.2014 द्वारा वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के खरीफ एवं रबी मौसम में राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किये जाने तथा शासनादेश संख्या–1620/12–2–2014–60(6)/2012 दिनांक 24.06.2014 द्वारा वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के खरीफ एवं रबी मौसम में प्रदेश के चयनित जनपदों–मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, रायबरेली एवं फैजाबाद में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ऋणी कृषकों को स्वीकृत ऋणों का बीमाच्छादन अनिवार्य रूप से तथा गैर ऋणी कृषकों को उनकी इच्छानुसार संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना में से किसी एक में सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के कम में प्रदेश में लागू संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना से आच्छादित कृषकों को बीमा का क्लेम समय से प्राप्त न हो पाने से सम्बन्धित संदर्भ विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहें है एवं उच्च स्तर से बीमा योजना से आच्छादित कृषकों के बीमा क्लेमों का अविलम्ब निस्तारण कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना से आच्छादित कृषकों के बीमा क्लेमों को अविलम्ब निस्तारित कराने हेतु सम्बन्धित बीमा कम्पनी के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें जिससे की दैवीय आपदा एवं अन्य कारणो से नष्ट हुई फसलों के सम्बन्ध में कृषकों को उचित राहत प्राप्त हो सके एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को नियमित रूप से अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।

(शैलेश कृष्ण),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक–सीः 07 /अधि02–6(3) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।